भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पुलिस-।। प्रभाग

विषय: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल्स में कांस्टेबलों के लिए की जाने वाली सामान्य भर्ती के लिए संशोधित स्कीम (दिनांक 1.8.2012 की स्थिति के अनुसार)

कांस्टेबूलरी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रमुख घटक है। बल का कार्य मुख्य रूप से इस स्तर पर कार्मिकों की क्षमता एवं प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। यह बहुत आवश्यक है कि सही योग्यता, क्षमता वाले और सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त कार्मिकों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के रूप में नियुक्त किया जाए। कांस्टेबलों की भर्ती एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों की भर्ती करते समय पात्रता संबंधी शर्तों एवं अनुपालन की जाने वाली प्रणाली पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

1. नियुक्ति के लिए पात्रता

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबलों के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना चाहिए:-

1)	**आयु**	18 से 23 वर्ष के बीच (कार्मिक एवं एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.7.1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए बी.14017/70/87-स्थापना (आर आर) में निहित अनुदेशों के अनुसार, आयु अवधारित करने की अंतिम तारीख लिखित परीक्षा वर्ष के पूवार्द्ध में आयोजित होने की दशा में 01 जनवरी और उतरार्द्ध में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के लिए 01 अगस्त होगी)।
2)	**शैक्षणिक अर्हता**	मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा पास
3)	**शारीरिक मानक**	
	क) लंबाई	पुरूषों के लिए : 170 से.मी.

		महिलाओं के लिए : 157 से.मी.
	ख) सीना	पुरूषों के लिए
		बिना फुलाए: 80 से.मी.
		फुलाकर : कम से कम 5 से.मी. फुलाव
	ग) वजन	पुरूषों एवं महिलाओं के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई एवं आयु के अनुपात में
4)	**<u>चिकित्सा मानक</u>**	
	नेत्र दृष्टि	i. बिना उपचार के अर्थात बिना चश्मे पहने दोनों नेत्रों की दूर की न्यूनतम दृष्टि 6/6 एवं 6/9 होनी चाहिए ii. इसके अतिरिक्त, रंग बोध मानक सी.पी.।।। होना चाहिए जैसा कि इस मंत्रालय के दिनांक 18.5.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं.।-45024/1/2008-पर्स-।। तथा दिनांक 02.7.2012 के समसंख्यक शुद्धिपत्र में निहित है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है

बिना सहायता के दृष्टि तीव्रता (निकट दृष्टि)		**बिना उपचार के दृष्टि तीव्रता (दूर दृष्टि)**		**अपवर्तन**	**कलर विजन**	**अभ्युक्तियां**
अच्छे नेत्र	**खराब नेत्र**	**अच्छे नेत्र**	**खराब नेत्र**			
एन 6	एन 9	6/6	6/9	दृष्टि सही करने के किसी भी प्रकार के उपाय की अनुमति नहीं है, यहां तक कि चश्मे द्वारा भी नहीं।	आई एस आई एच ए आर ए द्वारा सी पी ।।।	दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में दाएं नेत्र की दृष्टि बेहतर और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के बाएं नेत्र की दृष्टि बेहतर

						होती है। -बाइनोकूलर दृष्टि अपेक्षित है।

4)		उम्मीदवार के घुटने सटे हुए नहीं होने चाहिए, सपाट पैर नहीं होना चाहिए, स्फित शिरा नहीं होना चाहिए, नेत्र में भेंगापन नहीं होना चाहिए तथा उनकी कलर दृष्टि अधिक होनी चाहिए। उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम और किसी भी ऐसी शारीरिक विकृति से मुक्त होना चाहिए जिससे कार्य के दक्ष निष्पादन में बाधा पहुंचती हो।
5)	**छूट**	
	<u>आयु</u>	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों की आयु में छूट इस विषय पर सरकार के अनुदेशों के अनुसार दी जाएगी।
	<u>लंबाई</u>	(i) गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आनेवाले उम्मीदवारों तथा असम, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्यों के उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरूषों के लिए 165 से.मी. तथा महिलाओं के लिए 155 से.मी. होगी। अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरूषों के लिए 162.5 से.मी. तथा महिलाओं के लिए 150 से.मी. होगी। (ii) पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा के उम्मीदवारों तथा दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडलों अर्थात दार्जिलिंग, कालिमपोंग एवं कुरसियॉंग से मिलकर बने गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जी टी ए) और जिसमें इन जिलों के निम्नलिखित ''मौजा'' उपमंडल शामिल हैं:- (1)लोहागढ़ चाय बगान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाट (6) छोटा अदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना

		भाग-। (10) पंतापति वन-। (11) महानंदी वन (12) चम्पासारी वन (13) सल्बारीछट भाग-।। (14) सितॉग वन (15) सिवोक पहाड़ी वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया, के उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरूषों के लिए 162.5 से.मी. एवं महिलाओं के लिए 152.5 से.मी. होगी। (iii) पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरूषों के लिए 160 सेमी और महिलाओं के लिए 147.5 सेमी होगी।
	<u>सीना</u>	(i) गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा, मराठा श्रेणियों के तथा असम, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के पुरूष उम्मीदवारों का सीना न्यूनतम 78 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी फुलाव) होगा। अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरूष उम्मीदवारों का सीना न्यूनतम 76 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी) होगा। (ii) पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं गोरखा प्रादेशिक प्रशासन {(जी टी ए) ऊपर पैरा 5(ii) में यथा उल्लिखित} के पुरूष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए न्यूनतम 77 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी फुलाव) होगा।

।।. **<u>रिक्तियों का परिचालन</u>**

भर्ती की रिक्तियों की गणना वार्षिक रूप से (वित्तीय वर्ष आधार पर) की जाएगी। भर्ती वर्ष के अंत से पहले पूरी कर ली जाएगी। प्रत्येक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/असम राइफल द्वारा रिक्ति की गणना वित्तीय वर्ष आधार पर की जाएगी। रिक्तियों की गणना करते समय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में लिया जाएगा:

क) मौजूदा बटालियनों/बल में रिक्तियां (पिछली भर्तियों में भरी न गई रिक्तियों सहित);

ख) गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार नए बटालियनों के गठन के लिए अपेक्षित कार्मिकों की संख्या और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नए पदों की संख्या;

ग) मौजूदा परिणामी रिक्तियां या अन्य रैंकों में प्रोन्नतियों के कारण वर्ष के दौरान उत्पन्न होने की संभावना वाली रिक्तियां;

घ) पिछले तीन (3) वर्षों की अप्रयोज्यता का औसत/वर्ष के दौरान सेवा निवृतियॉं;

ङ) पिछले तीन (3) वर्षों के क्षयण/त्यागपत्रों का औसत;

च) पिछले तीन(3) वर्षों में ऐसे उम्मीदवारों का औसत जिन्होंने चयन के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं किया है;

III. **<u>रिक्तियों का आबंटन</u>**

1) जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60 प्रतिशत रिक्तियां आबंटित की जाएंगी।

2) सीमा रक्षा बलों (सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल एवं असम राइफल्स) में 20 प्रतिशत रिक्तियां सीमावर्ती जिलों, जो बल की जिम्मेदारी के भीतर आते हैं, को आबंटित की जाएंगी।

3) सीमा रक्षा बलों की 20 प्रतिशत रिक्तियां आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाएगी। आतंकवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों को सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

4) सीमा रक्षा बलों से भिन्न बलों में 40 प्रतिशत रिक्तियां आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाएंगी। आतंकवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों को सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

5) एक राज्य से दूसरे राज्य को वार्षिक रिक्तियों के अन्तरण के साथ-साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में नए गठन की रिक्तियों की उसी श्रेणी अथवा एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में विपथन के लिए भी गृह मंत्रालय की सहमति अपेक्षित होगी।

IV. <u>आरक्षण</u>

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा कार्मिकों की अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण होगा। ऊपर मद-III के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए आबंटन के संदर्भ में आरक्षित रिक्तियों की गणना की जाएगी और भर्ती होगी। इस प्रकार के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा नियत किया जाएगा। भरी न गई आरक्षित रिक्तियों भी विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से भरी जाएंगी।

V. <u>भर्ती-प्रक्रिया</u>

1) निर्धारित राज्यों में अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए नोडल बल/गृह मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के संबंधित महानिदेशक द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियां जारी की जाएंगी।

2) <u>कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से केन्द्रीयकृत/क्षेत्रीय भर्ती</u>

(i) कर्मचारी चयन आयोग, आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से तथा उनकी सहायता से भर्ती करेगा। इस प्रकार होने वाली भर्ती या तो सभी सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के लिए सामूहिक अथवा आवश्यकता होने पर अलग-अलग होगी।

(ii) भर्ती संबंधी प्रक्रिया में शारीरिक मानक जांच (पी एस टी), शारीरिक दक्षता जांच (पी ई टी), लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच शामिल होंगी।

(iii) पी एस टी और पी ई टी में अर्हता-प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में किए गए प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच हेतु छांटा जाएगा।

(iv) भर्ती के लिए आवेदन करने वाले तथा प्रत्यक्षत: पात्र पाए गए सभी अभ्यर्थियों को, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के परामर्श से आयोग द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर शारीरिक मानक जांच और शारीरिक दक्षता जांच में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। पी ई टी/पी एस टी से पहले आयोग द्वारा उनकी पात्रता की विस्तृत जांच नहीं की जाएगी।

(v) पी ई टी/पी एस टी अनिवार्य होगी परन्तु इसमें मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना होगा और इसके लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा।

(vi) कर्मचारी चयन आयोग 09 माह की अवधि के भीतर भर्ती-प्रक्रिया समाप्त करने का प्रयास करेगा।

(vii) कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से पी ई टी और मेडिकल जांच के आयोजन तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया में समन्वय करने के लिए वार्षिक रोटेशन आधार पर किसी एक बल को समन्वयक बल घोषित किया जाएगा।

3. **चयन-पद्धति**

भर्ती निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:-

i) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा व्यापक प्रचार किए जाने के पश्चात आवेदनों को आमंत्रित किए जाने के माध्यम से वार्षिक रूप से चयन किया जाएगा।

ii) सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क के रूप में 50/- रु. की राशि ली जाएगी। तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, भूतपूर्व सैनिकों और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं किया जाएगा।

4) **निम्नलिखित के आधार पर चयन होगा:-**

i) कर्मचारी चयन आयोग अपनी वेबसाइटों और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भर्ती के बारे में व्यापक प्रचार करेगा। वह अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में विशिष्ट रूप से पदनामित पदाधिकारियों के माध्यम से शिकायतों के निराकरण के लिए समुचित तंत्र भी स्थापित करेगा।

ii) आवेदन प्रपत्र कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से तैयार किया जाएगा। आवेदन दो तरीकों अर्थात् ऑनलाइन आवेदन तथा निर्धारित प्रपत्र में सादे कागज के माध्यम से आवेदन, से मांगे जाएंगे। पद के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र संलग्न करना अपेक्षित नहीं होगा।

iii) उम्मीदवारों से कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन जमा करने के लिए कहा जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार में उम्मीदवार चयनित केन्द्र आता है।

iv) लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के साथ-साथ लिखित परीक्षा से पर्याप्त समय पहले कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

v) उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में सादे कागज़ों के माध्यम से आवेदन, कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके या बाजार में उपलब्ध आवेदन में प्रस्तुत कर सकते हैं।

vi) उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने पर कर्मचारी चयन आयोग इनकी जांच करेगा तथा शारीरिक मानक जांच (पी एस टी) और शारीरिक दक्षता जांच (पी ई टी) आयोजित करने

के संबंध में सहमत कार्यक्रम के अनुसार नोडल केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को उम्मीदवारों की राज्य–वार और श्रेणी-वार सूची उपलब्ध कराएगा।

vii) भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत में ही जिन उम्मीदवारों के आवेदन सही पाए गए होंगे उन्हें लंबाई रेखा से गुजरना होगा, कम लंबाई वाले उम्मीदवारों को हटा दिया जाएगा।

viii) लंबाई-जांच में सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता जांच (पी ई टी) होगी, जिसमें पांच किलोमीटर की दौड़ (पुरुष के लिए) तथा 1.6 कि.मी. की दौड़ (महिला के लिए) शामिल होगी जिसे क्रमश: 24 मिनट और 8.30 मिनट में पूरा किया जाना होगा।

ix) दौड़ में सफल रहे उम्मीदवारों को आधुनिक बायोमीट्रिक पद्धतियों से गुजरना होगा जिससे कि फर्जी उम्मीदवार पकड़े जा सके। बायोमीट्रिक पद्धति का उपयोग भर्ती के सभी चरणों में किया जाएगा (कंप्यूटर आधारित बायोमीट्रिक उपकरणों के अभाव में अंगूठे की छाप, डिजीटल फोटो और शरीर पर अन्य पहचान-चिन्ह को उपयोग में लाया जाएगा)।

x) बायोमीट्रिक पहचान तथा प्रमाण-पत्रों की जांच में पात्र पाए गए उम्मीदवारों के सीने और वजन का माप लिया जाएगा।

xi) लंबाई और सीने (जैसा भी मामला हो) में छूट केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा पी ई टी/ पी एस टी के समय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर अनुमेय होगी।

xii) उन उम्मीदवारों, जो अपने शारीरिक माप से संतुष्ट नहीं है, से अपील प्राप्त की जा सकेंगी। ऐसे उम्मीदवारों को पी एस टी/पी ई टी की समाप्ति के पश्चात एक निश्चित तारीख देकर उस दिन रिपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा। एक अपीलीय प्राधिकारी (पी ओ पी एस टी/पी ई टी बोर्ड की रैंक से उच्चतर), पी एस टी/पी ई टी के अंतिम दिन रिपोर्ट करेंगे और अगले दिन ऐसे उम्मीदवारों के, उनकी शिकायत के अनुसार, शारीरिक माप लेंगे। यदि उम्मीदवार निर्धारित पी एस टी मानदंडों के भीतर पाए जाते हैं, तो उसी क्रम में पी ई टी हेतु पी एस टी/पी ई टी बोर्ड के समक्ष भेजा जाएगा।

5. **<u>मेडिकल-बोर्डों का गठन</u>**

i) पी एस टी/पी ई टी और मेडिकल जांच के आयोजन के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स की बोर्डों का नेतृत्व कमांडेंट/सकेंड-इन-कमान की रैंक के अधिकारी करेंगे जिनके साथ दो अधिकारी, जो सहायक कमांडेंट की रैंक से कम नहीं होंगे और कम

से कम एक चिकित्सा अधिकारी होंगे। चिकित्सा अधिकारी का सहयोग केवल अन्तिम मेडिकल जांच में लिया जाएगा।

ii) यदि इन बोर्डों में इन समुदायों का कोई प्रतिनिधि न हो, तो इस प्रकार की बोर्डों में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के एक अधिकारी को सहयोजित किया जा सकता है।

6. **<u>शारीरिक मानक जांच (पी एस टी)/शारीरिक दक्षता जांच (पी ई टी)</u>**

i) जो उम्मीदवार लंबाई मानदंडों के संबंध में पात्र पाए जाएंगे उनकी बायोमीट्रिक पहचान और प्रमाणपत्रों की जांच होगी और तत्पश्चात एक बोर्ड द्वारा द्वारा सीने और वजन का माप लिया जाएगा।

ii) कर्मचारी चयन आयोग के पर्यवेक्षण में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा शारीरिक मानक जांच की जाएगी।

iii) शारीरिक दक्षता जांच में 5 कि.मी. की दौड़ (पुरुषों के लिए) और 1.6 कि.मी. की दौड़ (महिलाओं के लिए) शामिल होगी, जिसे क्रमश: 24 मिनट और 8.30 मिनट में पूरा किया जाना होगा। लद्दाख क्षेत्र के लिए, शारीरिक दक्षता जांच में 1 मील की दौड़ (पुरूष के लिए) और 800 मीटर की दौड़ (महिला के लिए) शामिल होगी जिसे क्रमश: 6.30 मिनट तथा 4 मिनट में पूरा किया जाना होगा।

iv) शारीरिक दक्षता जांच के संबंध में गर्भधारण को एक अयोग्यता समझा जाएगा और गर्भवती महिला उम्मीदवारों की उम्मीदवारी उसी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

v) भूतपूर्व-सैनिकों की शारीरिक दक्षता जांच नहीं होगी। तथापि, उनके द्वारा चिकित्सा जांच में अर्हता प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

vi) नोडल बल उम्मीदवारों के बायोमीट्रिक आंकड़ो के साथ पी एस टी/पी ई टी में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की सूची समेकित करेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में इसे कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध कराएगा।

7. **<u>लिखित-परीक्षा</u>**

i) पी एस टी और पी ई टी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। कर्मचारी चयन आयोग केवल पी एस टी और पी ई टी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा।

ii) लिखित परीक्षा में केवल ओ एम आर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्प प्रश्न होंगे जिनका उत्तर पेन द्वारा दिया जाना होगा। प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 100 होगा और इसमें न्यूनतम 100 प्रश्न शामिल होंगे।

iii) यद्यपि किसी परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में समान सेट के प्रश्न होंगे लेकिन प्रश्न–पत्र अलग-अलग श्रेणियों के हो सकते हैं जिनमें प्रश्न अलग-अलग क्रम से होंगे।

iv) प्रश्न–पत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे जिससे कि उम्मीदवारों की सामान्य जागरूकता/सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक अभिवृत्ति और पैटर्न को समझने और विभेद करने की क्षमता तथा अंग्रेजी/हिन्दी के बुनियादी ज्ञान का आकलन किया जा सके।

v) प्रश्नपत्र हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् कश्मीरी (जम्मू एवं कश्मीर के लिए उर्दू लिपि), मराठी (महाराष्ट्र), गुजराती (गुजरात), मलयालम (केरल), कन्नड (कर्नाटक), तेलगु (आंध्र प्रदेश), तमिल (तमिलनाडु) उड़िया (ओड़िशा), बंगाली (पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा), पंजाबी (पंजाब के लिए गुरुमुखी लिपि), असमिया (असम और अरुणाचल प्रदेश), मणिपुरी (मणिपुर) और मिजो (मिजोरम) में निर्धारित किए जाएंगे। तदनुसार प्रश्न-पत्रों के उत्तर इनमें से किसी भाषा में दिए जा सकेंगे। कर्मचारी चयन आयोग उपर्युक्त भाषाओं के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं में प्रश्न-पत्र निर्धारित कर सकता है बशर्ते कि राज्य सरकारों से इस प्रकार की मांग की जाती है अथवा गृह मंत्रालय ऐसा निदेश दे।

vi) प्रश्न पत्रों का निर्धारण केन्द्रीयकृत रूप से किया जाएगा।

vii) उम्मीदवारों को ओ एम आर शीट में उत्तर देना अपेक्षित होगा।

viii) कर्मचारी चयन आयोग, नोडल बल को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराएगा ताकि अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की मेडिकल जांच हो सके। लिखित में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी जो पूर्व के अनुभव के आधार पर मेडिकल जांच के दौरान निश्चित की गई असफल रहने की दर, के हिसाब से बढ़ायी जा सकती है।

8. **<u>चिकित्सा जांच</u>** :

i) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित कट-आफ अंक से अधिक अंक लाने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल जांच में उपस्थित होना होगा।

ii) पात्रता शर्तों में निर्धारित किए गए अनुसार उम्मीदवारों की मेडिकल जांच की जाएगी ताकि शारीरिक और चिकित्सकीय दृष्टि से उनकी योग्यता का आकलन किया जा सके।

iii) प्रारंभिक मेडिकल जांच में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की ही मेडिकल जांच (एक्स-रे और लैबोट्री) होगी।

iv) चिकित्सा जांच के मामले में ''अस्थायी अयोग्यता'' की अनुमति नहीं होगी। तथापि, ऐसी कोई महिला उम्मीदवार, जो चिकित्सा जांच के दौरान 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती है तो उसे अस्थायी अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति प्रसूति पूरा होने तक रोक दी जाएगी।

v) तथापि, अयोग्य घोषित उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड की अस्वीकृति के 15 दिनों के अंदर अपील/अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं।

vi) अपील पैनल, अस्वीकृति की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर उनकी अपील पर निर्णय लेगें। यदि अपील पैनल द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से योग्य पाया जाता है तो उम्मीदवार को रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार तथा अंतिम चयन के लिए एस एस सी द्वारा नियत योग्यता मापदंडों के अनुसार भर्ती किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को ''आरक्षित सूची'' में रखा जाएगा और इन उम्मीदवारों को ''चयन सूची'' के उम्मीदवारों से सामूहिक रूप में कनिष्ठ माना जाएगा।

vii) उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों की जांच चिकित्सा जांच स्तर पर की जाएगी।

viii) एस एस सी को चिकित्सा योग्य उम्मीदवारों की सूची नोडल बल प्रदान करेगा।

9. **<u>मैरिट सूची</u>**

i) मैरिट सूची प्रत्येक श्रेणी में नामत: सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., आ.पि. वर्ग और भूतपूर्व सैनिक में लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में एस एस सी द्वारा पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग से बनाई जाएगी।

ii) अंक बराबर रहने के मामले में, एस एस सी अपनी सेट प्रक्रिया के माध्यम से बराबर अंक वालों का समाधान करेगी, जिसे भर्ती के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाएगा।

10. **<u>अंतिम चयन</u>**

i) उम्मीदवारों का अंतिम चयन प्रत्येक श्रेणी में मैरिट के आधार पर किया जाएगा। एस एस सी अंतिम रूप से चयन हुए उम्मीदवारों का परिणाम घोषित (राज्य-वार एवं समुदाय-वार अर्थात् अ्जा., अ.ज.जा., आ. पि. वर्ग एवं सामान्य) करेगी। सफल उम्मीदवारों को बल आबंटन एस एस सी द्वारा मैरिट सह विकल्प के आधार पर किया जाएगा।

ii) नियुक्ति के लिए अंतिम अंक प्रतिशतता सामान्यत: निम्नानुसार होगी:-

सामान्य एवं भूतपूर्व सैनिक	: 35 प्रतिशत
अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग	: 33 प्रतिशत

VI. <u>सामान्य</u>

i) सी ए पी एफ में कांस्टेबलों (जी डी) की भर्ती के लिए विज्ञापन एस एस सी द्वारा केन्द्रीय रूप से जारी किया जाएगा। भर्ती के संबंध में व्यापक प्रचार एस एस सी द्वारा स्थानिक भाषा के अखबारों सहित स्थानीय समाचार पत्रों तथा रोजगार समाचार तथा रेडियो एवं टेलिविजन के माध्यम से भी दिया जाएगा।

ii) सरकार के 15 बिंदु कार्यक्रम के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने के प्रयास किए जाते हैं। चूंकि सेवा में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को असम राइफल्स एवं सी ए पी एफ में उपलब्ध रोजगार अवसरों/भर्ती कार्यक्रमों एवं फायदों/संभावनाओं की जागरूकता के माध्यम से यह प्राप्त किया जा सकता है। एस एस सी द्वारा प्रचार अभियान इसकी देखरेख में किया जाना चाहिए तथा सी ए पी एफ में भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों को उत्साहित करने के अनुरोध के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों/संगठनों को विशेष सूचना भेजी जानी चाहिए।

iii) पूर्वोत्तर राज्यों (असम के अलावा) में भर्ती के लिए, भर्ती चक्र समय कम किया जाना चाहिए जबकि पी एस टी/पी ई टी और लिखित परीक्षा के बीच तथा लिखित परीक्षा एवं

चिकित्सा जांच के बीच की भी अवधि को चिकित्सा बोर्डों की संख्या बढ़ाकर कम किया जाना चाहिए।

iv) यदि पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए अन्य भर्ती की जाती है, यदि कोई होती है, तो तब उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

v) पी एस टी/पी ई टी/चिकित्सा जांच के संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन संबंधित सी ए पी एफ द्वारा निपटाए जाने चाहिए।

VII. <u>सुरक्षा उपाय</u>

पी एस टी/पी ई टी/चिकित्सा जांच की प्रक्रिया में विडियो ग्राफी को तरजीह दी जानी चाहिए।

VIII. <u>जम्मू एवं कश्मीर/सीमावर्ती जिलों/एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों से उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से शेष रिक्त्यिों को भरने के लिए अतिरिक्त उपायों को अपनाया जाना चाहिए</u>

(i) भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) के माध्यम से संचालित केवल नियमित भर्ती प्रक्रिया द्वारा की जाएगी।

(ii) जम्मू एवं कश्मीर राज्य/एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों तथा सीमावर्ती जिलों को आबंटित कुछ रिक्तियां खाली रहती हैं, तो भर्ती रैली जम्मू एवं कश्मीर राज्य/ एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों के साथ-साथ अन्य ऐसे राज्यों के सीमावर्ती जिलों जहां रिक्तियां खाली रहती हैं में आयोजित/संचालित की जानी चाहिए। ऐसी भर्ती रैली संबंधित सी ए पी एफ द्वारा संचालित की जाएगी अथवा यह अन्य सी ए पी एफ की खाली रिक्तियों का पता लगाने के बाद एकल सी ए पी एफ द्वारा किया जा सकता है।

(iii) सीमावर्ती जिलों की रिक्तियों के लिए, ऐसी भर्ती रैली उचित प्रबंधन के साथ संबंधित सीमा जिलों (बड़े जिलों के मामलों में उप-मंडल स्तर पर भी) में सैना के तरीके पर आयोजित की जा सकती है। ऐसी रैलियों में केवल संबंधित जिलों के युवकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त पहचान जैसे निवास प्रमाण पत्र, आधार संख्या, वोटर आई डी कार्ड तथा राशन कार्ड इत्यादि स्वीकार किए जा सकते हैं। राज्यों/सीमावर्ती जिलों में सी ए पी एफ के लिए कार्मिकों की भर्ती के बारे में स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार एस एस सी तथा सी ए पी एफ द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारें प्रत्येक सीमा राज्य के दोनों मुख्य सचिवों के साथ-साथ डी जी पी को सूचित करने के साथ सूचना दी जानी चाहिए।

(iv) सीमावर्ती जिलों में ऐसी भर्तियों के लिए, ऐसे शारीरिक मानकों (ऊंचाई एवं कद) का अनुसरण किया जाएगा, जो ऐसी नीति में निर्धारित में से कम हो और जो सदृश पदों के लिए संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनाए जाते हैं।

(v) संबंधित राज्य सरकारें प्रचार उपक्रम तथा जागरूकता अभियानों के अतिरिक्त संबंधित जिलों में भीड़ से निपटने के लिए उचित कानून एवं व्यवस्था के इंतजाम और पुलिस बंदोबस्त सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।

(vi) जब सीमावर्ती जिलों में ऐसी रैलियों के माध्यम से भर्ती की जाती है तो मैरिट सूची राज्य-वार तैयार की जाएगी तथा सभी चयनित उम्मीदवारों को एस एस सी के माध्यम से उस भर्ती/रिक्ती वर्ष में चयनित उम्मीदवारों से सामूहिक रूप से कनिष्ठ रखा जाएगा।

(vii) संबंधित सीमा रक्षा बलों के सीमावर्ती जिलों में रिकित्यां भरने को सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त अतिरिक्त उपायों को करने के बाद, ऐसे सीमावर्ती जिलों से खाली बची रिक्त्यिां के बारे में एस एस सी को सूचित किया जाएगा जो कि विशेषकर सीमावर्ती राज्य के उम्मीदवारों से भरी जाएंगी। इसलिए इसे प्रभावी बनाने के लिए एस एस सी रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा तक सीमावर्ती राज्यों के मामले में प्रतीक्षा सूची बनाएगी जो कि संबंधित सीमावर्ती राज्य के संबंध में खाली रहती है।

(नीरज कंसल)
निदेशक (पर्स)
टेलि/फैक्स: 23092933

सेवा में

1. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग,

2. महानिदेशक,
बी एस एफ/सी आई एस एफ/सी आर पी एफ/आई टी बी पी/एस एस बी/असम राइफल्स

3. गृह मंत्री के निजी सचिव/गृह सचिव के निजी सचिव/विशेष सचिव (आई एस) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (पी-।।) के निजी सचिव